

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] No. 24] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2019/पौष 13, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2019/PAUSHA 13, 1940

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

का.आ. 28(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कार्यालय आदेश सं. सीओएमपी-05/1/2018-सीओएमपी-एमसीए, तारीख 9 नवम्बर, 2018 द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता को तारीख 12 नवम्बर, 2018 (पूर्वाहन) से 25 अक्तूबर, 2022 तक (अर्थात् वह तारीख जिसको वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करेंगे) या अग्रिम आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा शासित होंगे।

> [फा. सं. 05/1/2018-सीओएमपी-एमसीए] के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2019

**S.O. 28(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, vide office order No. Comp-05/1/2018-Comp-MCA dated the 09<sup>th</sup> November, 2018, appointed Shri Ashok Kumar Gupta as the Chairperson of the Competition 34 GI/2019

Commission of India with effect from the 12<sup>th</sup> November, 2018 (Forenoon), until 25.10.2022 (i.e. the date on which he attains the age of sixty-five years), or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of his service shall be governed by the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003.

[F. No. 05/1/2018-Comp-MCA]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.